न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 03/2017

आर0सी0एम0एस0 प्रकरण संख्या : 2017/00195

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण:–
जगदीश पुत्र पुखराज जाति चौधरी निवासी बूसी तहसील रानी		किस्तूर पुत्र मन्नाजी कौम घांची के का0मु0 1. तुलसीदेवी पत्नी किस्तूरजी 2. वीराराम पुत्र किस्तूरजी के का0मु0 2.1 देवा पुत्र वीराराम 3. कालुराम पुत्र किस्तूरजी 4. बाबुलाल पुत्र किस्तूरजी 5. नेमाराम पुत्र किस्तूरजी 6. भेराराम पुत्र किस्तूरजी 7. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 20 (परन्तुक) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थिति –

1. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

–: निर्णय :–

दिनांकः– 5/9/2018

तहसीलदार रायपुर ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 20 (परन्तुक) के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण बाजवूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम बूसी के खसरा नम्बर 69 व 70 की भूमि प्रार्थी के पिता एवं उनके भाईयों की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि में आवागमन का एकमात्र रास्ता खसरा नम्बर 66 है, जो राजस्व रेकर्ड में गै0मु0 रास्ते के रूप में इन्द्राजित है। भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम बूसी के खसरा नम्बर 66 रकबा 14 बीघा 4 बिस्वा में से 7 बीघा 9 बिस्वा भूमि अप्रार्थीगण के पति/पिता किस्तुर पुत्र मन्ना जाति घांची के नाम दर्ज कर सीधे तौर पर खातेदारी इन्द्राज कर दी गई, जो विधि विरूद्ध है। उक्त इन्द्राज से खसरा नम्बर 66 में से नया खसरा नम्बर 66/1 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा अप्रार्थीगण के पति/पिता के नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज किया गया तथा भूमि कि किस्म गै0मु0 रास्ता के स्थान पर बारानी प्रथम अंकित कर दी।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

जिसका भूमि आवंटन सलाहकार समिति को किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। चूंकि उक्त भूमि रास्ते की भूमि थी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित श्रेणी में शुमार है। इस कारण उक्त भूमि का नियमन नहीं किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त वक्त नियमन अप्रार्थीगण के पति/पिता के ग्राम बूसी में खसरा नम्बर 64 रकबा 41 बीघा 14 बिस्वा एवं खसरा नमबर 65 रकबा 13 बिस्वा भूमि खातेदारी में दर्ज थी। इस प्रकार अप्रार्थीगण के पति/पिता भूमिहीन नहीं होने के कारण नियमन की पात्रता नहीं रखता था। इस प्रकार आवंटन नियमन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थीगण के पति/पिता के पक्ष में जारी नियमन आदेश विधि विरूद्ध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। ग्राम बूसी के खसरा नम्बर 66 रकबा 14 बीघा 4 बिस्वा की भूमि गै0मु0 रास्ते के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी, जो आवंटन नियमन सलाहकार समिति की अनुशंषा एवं उप जिलाधीश पाली के आदेश क्रमांक/राज./119 दिनांक 14.10.1977 के अनुसार अप्रार्थीगण के पति/पिता किस्तूर पुत्र मना कौम घांची निवासी बूसी को नियमन किये जाने के कारण जरिये नामान्तरकरण संख्या 499 के खसरा नम्बर 66/1 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम की भूमि किस्तूर पुत्र मना का नाम बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया। प्रकरण में प्रस्तुत रेकर्ड का परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि वक्त नियमन जैर अपील वादस्थ भूमि कि किस्म गै0मु0 रास्ता थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार रास्ते की भूमि का आवंटन अथवा नियमन नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. संख्या 3109/2011 में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 में यह प्रतिपादित किया कि "Before parting with this case we give directions to all the State Governments in the country that they should prepare schemes for eviction of illegal/unauthorized occupants of Gram Sabha/Gram Panchayat/Poramboke/Shamlat land and these must be restored to the Gram Sabha/Gram Panchayat for the common use of villagers of the village. For this purpose the Chief Secretaries of all State Governments/Union Territories in India are directed to do the needful, taking the help of other senior officers of the Governments. The said scheme should provide for the speedy eviction of such illegal occupant, after giving him a show cause notice and a brief hearing. Long duration of such illegal occupation or huge expenditure in making constructions thereon or political connections must not be treated as a justification for condoning this illegal act or for regularizing the illegal possession. Regularization should only be permitted in exceptional cases e.g. where lease has been granted under some Government notification to landless labourers or members of Scheduled Castes/Scheduled Tribes, or where there is already a school, dispensary or other public utility on the land. " चूंकि गै0मु0 रास्ते की भूमि भी सार्वजनिक उपयोग की होने के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त नजीर के परिप्रेक्ष्य में रास्ते की भूमि पर हुए नियमन को अपास्त करते हुए भूमि को कब्जामुक्त करवाना जाना आवश्यक एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 20 (परन्तुक) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत स्वीकार किया जाता है तथा आवंटन नियमन सलाहकार समिति की अनुशंषा के आधार पर उप जिलाधीश पाली द्वारा अप्रार्थीगण के पति/पिता किस्तूर पुत्र मना कौम घांची निवासी बूसी के पक्ष में किया गया नियमन आदेश क्रमांक/राज./119 दिनांक 14.10.1977 को अपास्त किया जाता है तथा भूमि को पुनः गै0मु0 रास्ते के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने एवं भूमि का भौतिक कब्जा बहक सरकार के पक्ष में लिए जाने के आदेश तहसीलदार रानी को दिये जाते है। निर्णय की सत्य प्रति तहसीलदार रानी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 5/9/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली